



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08012025-259985
CG-DL-E-08012025-259985

xxxGIDExxx

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 95]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 6, 2025/पौष 16, 1946

No. 95]

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 6, 2025/PAUSHA 16, 1946

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)
(विदेश व्यापार महानिदेशालय)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 4 जनवरी, 2025
सं. 49/2024-2025

विषय: आईटीसी (एचएस), 2022 के अध्याय 60 के अंतर्गत शामिल सिंथेटिक बुने हुए कपड़ों की आयात नीति और आयात नीतिगत शर्त में संशोधन के संबंध में।

का.आ. 97(अ).—समय-समय पर यथा संशोधित, विदेश व्यापार नीति 2023 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 3 और धारा 5 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अधिसूचना सं. 77/2023 दिनांक 16.03.2024 और अधिसूचना संख्या 33/2024-25 दिनांक 01.10.2024 में आंशिक संशोधन करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा सिंथेटिक बुने हुए कपड़ों के निम्नलिखित 13 आईटीसी (एचएस) कोडों पर न्यूनतम आयात मूल्य (एमआईपी) की शर्त को 01.01.2025 से 31.03.2025 तक निम्नानुसार बढ़ाती है:

आईटीसी (एचएस) कोड	मद विवरण	संशोधित आयात नीति	नीतिगत भारत
60063100	-सिंथेटिक धागों के	प्रतिबंधित	तथापि, आयात 'मुक्त' है यदि

	ब्लीच नहीं किए गए या ब्लीच किए गए		सीआईएफ मूल्य 3.5 अमेरिकी डॉलर प्रति किग्रा और इससे अधिक हो
60063200	-सिंथेटिक धागों के :-- डाई किए हुए	प्रतिबंधित	तथापि, आयात 'मुक्त' है यदि सीआईएफ मूल्य 3.5 अमेरिकी डॉलर प्रति किग्रा और इससे अधिक हो
60063300	-सिंथेटिक धागों के :-- विभिन्न रंगों के धागों के	प्रतिबंधित	तथापि, आयात 'मुक्त' है यदि सीआईएफ मूल्य 3.5 अमेरिकी डॉलर प्रति किग्रा और इससे अधिक हो
60063400	-सिंथेटिक धागों के :-- मुद्रित	प्रतिबंधित	तथापि, आयात 'मुक्त' है यदि सीआईएफ मूल्य 3.5 अमेरिकी डॉलर प्रति किग्रा और इससे अधिक हो
60069000	-- अन्य	प्रतिबंधित	तथापि, आयात 'मुक्त' है यदि सीआईएफ मूल्य 3.5 अमेरिकी डॉलर प्रति किग्रा और इससे अधिक हो
60019200	-अन्य :-- मानव निर्मित धागों के	प्रतिबंधित	तथापि, आयात 'मुक्त' है यदि सीआईएफ मूल्य 3.5 अमेरिकी डॉलर प्रति किग्रा और इससे अधिक हो
60041000	बुने हुए या कोशिए से बने हुए कपड़े जिसकी चौड़ाई 30 सेमी से अधिक हो, जिसमें 5 प्रतिशत या इससे अधिक इलस्ट्रोमेरिक धागों अथवा रबड़ के धागों, शीर्षक 60.01 के अलावा का भार निहित हो	प्रतिबंधित	तथापि, आयात 'मुक्त' है यदि सीआईएफ मूल्य 3.5 अमेरिकी डॉलर प्रति किग्रा और इससे अधिक हो
60049000	-अन्य	प्रतिबंधित	तथापि, आयात 'मुक्त' है यदि सीआईएफ मूल्य 3.5 अमेरिकी डॉलर प्रति किग्रा और इससे अधिक हो
60053600	-सिंथेटिक धागों के :-- अन्य, ब्लीच नहीं किए गए या ब्लीच किए गए	प्रतिबंधित	तथापि, आयात 'मुक्त' है यदि सीआईएफ मूल्य 3.5 अमेरिकी डॉलर प्रति किग्रा और इससे अधिक हो
60053790	---अन्य	प्रतिबंधित	तथापि, आयात 'मुक्त' है यदि सीआईएफ मूल्य 3.5 अमेरिकी डॉलर प्रति किग्रा और इससे अधिक हो
60053900	-सिंथेटिक धागों के :-- अन्य, मुद्रित	प्रतिबंधित	तथापि, आयात 'मुक्त' है यदि सीआईएफ मूल्य 3.5 अमेरिकी डॉलर प्रति किग्रा और इससे अधिक हो
60062200	-कपास के :-- डाई किए हुए	प्रतिबंधित	तथापि, आयात 'मुक्त' है यदि सीआईएफ मूल्य 3.5 अमेरिकी डॉलर प्रति किग्रा और इससे अधिक हो
60064200	-कृत्रिम धागों के :-- डाई किए हुए	प्रतिबंधित	तथापि, आयात 'मुक्त' है यदि सीआईएफ मूल्य 3.5 अमेरिकी डॉलर प्रति किग्रा और इससे अधिक हो

2. उपरोक्त मदों पर न्यूनतम आयात मूल्य (एमआईपी) शर्त अग्रिम प्राधिकार-पत्र धारकों, निर्यात उन्मुख इकाइयों (ईओयू) और एसईजेड इकाइयों द्वारा आयात हेतु लागू नहीं होगा, बशर्ते कि आयातित निविष्टियां घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र (डीटीए) में नहीं बेची जाती हैं।

इस अधिसूचना का प्रभाव:

आईटीसी (एचएस) 60063100, 60063200, 60063300, 60063400, 60069000 60019200, 60041000, 60049000, 60053600, 60053790, 60053900, 60062200 और 60064200 के अंतर्गत सिंथेटिक बुने हुए कपड़ों का आयात "प्रतिबंधित" है। तथापि, यदि सीआईएफ मूल्य 3.5 अमेरिकी डॉलर प्रति किलोग्राम और से अधिक है तो आयात 'मुक्त' है। इसके अलावा अग्रिम प्राधिकार-पत्र धारकों, ईओयू और एसईजेड से आयातित निविष्टियां न्यूनतम आयात मूल्य शर्त से छूट प्राप्त होगी।

इसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

[फा.सं. 01 / 89 / 180 / विविध-39 / एएम05 / पीसी-2[क] / ई-1425]
संतोष कुमार सारंगी महानिदेशक विदेश व्यापार और पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
(Directorate General of Foreign Trade)
NOTIFICATION
New Delhi, the 4th January, 2025
No. 49/2024-25

Subject: Amendment in Import Policy and Import Policy Condition of Synthetic Knitted Fabrics Covered under Chapter 60 of the ITC (HS), 2022- reg.

S.O. 97(E).— In exercise of powers conferred by Section 3 and Section 5 of FT (D&R) Act, 1992, read with paragraph 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy, 2023, as amended from time to time, and in partial modification to Notification No. 77/2023 dated 16.03.2024 and Notification No. 33/2024-25 dated 01.10.2024 the Central Government hereby extends the condition of Minimum Import Price (MIP) on the following 13 ITC (HS) codes of Synthetic Knitted Fabrics from 01.01.2025 to 31.03.2025 as under:

ITC(HS) Code	Item Description	Revised Import Policy	Policy condition
60063100	-Of synthetic fibres : -- Unbleached or bleached	Restricted	However, import is 'Free' if CIF value is 3.5 US Dollar and above per Kilogram
60063200	-Of synthetic fibres : -- Dyed	Restricted	However, import is 'Free' if CIF value is 3.5 US Dollar and above per Kilogram

60063300	-Of synthetic fibres : -- Of yarns of different colours	Restricted	However, import is 'Free' if CIF value is 3.5 US Dollar and above per Kilogram
60063400	-Of synthetic fibres : -- Printed	Restricted	However, import is 'Free' if CIF value is 3.5 US Dollar and above per Kilogram
60069000	-- Other	Restricted	However, import is 'Free' if CIF value is 3.5 US Dollar and above per Kilogram
60019200	- Other : -- Of man- made fibres	Restricted	However, import is 'Free' if CIF value is 3.5 US Dollar and above per Kilogram
60041000	Knitted or crocheted fabrics of a width exceeding 30 cm, containing by weight 5 percent or more of elastomeric yarn or rubber thread, other than those of heading 60.01.	Restricted	However, import is 'Free' if CIF value is 3.5 US Dollar and above per Kilogram
60049000	- Other	Restricted	However, import is 'Free' if CIF value is 3.5 US Dollar and above per Kilogram
60053600	- Of synthetic fibres : -- Other, unbleached or bleached	Restricted	However, import is 'Free' if CIF value is 3.5 US Dollar and above per Kilogram
60053790	--- Other	Restricted	However, import is 'Free' if CIF value is 3.5 US Dollar and above per Kilogram
60053900	- Of synthetic fibres : -- Other, printed	Restricted	However, import is 'Free' if CIF value is 3.5 US Dollar and above per Kilogram
60062200	- Of cotton : -- Dyed	Restricted	However, import is 'Free' if CIF value is 3.5 US Dollar and above per Kilogram
60064200	- Of artificial fibres: -- Dyed	Restricted	However, import is 'Free' if CIF value is 3.5 US Dollar and above per Kilogram

2. Minimum Import Price (MIP) condition on above items shall not be applicable for imports by Advance Authorisation holders, Export Oriented Units (EOUs) and units in the SEZ subject to the condition that the imported inputs are not sold into Domestic Tariff Area (DTA).

Effect of the Notification :

Import of Synthetic Knitted Fabrics under ITC(HS) 60063100, 60063200, 60063300, 60063400, 60069000, 60019200, 60041000, 60049000, 60053600, 60053790, 60062200 and 60064200 is “Restricted”. However, import is ‘Free’ if CIF value is 3.5 US Dollar and above per Kilogram. Further, inputs imported by Advance Authorisation holders, EOUs and SEZ shall be exempted from MIP condition.

This is issued with the approval of Minister of Commerce & Industry.

[F.No. 01/89/180/Misc-39/AM-05/PC-2[A]/E-1425]

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade & Ex- officio Addl. Secy.